न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 107/2016

सी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2016/00275

वादी बनाम प्रतिवादीगण

सरादीन पुत्र कायूखां
जाति मुसलमान
निवासी मेकानियों की ढाणी,पाटोदी
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

बनाम

1.शेरूसा वल्द सामन्दरसा जाति साई
निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी
2.रहमानखां वल्द जामीनखां,कौम मुसलमान
3.शेरूखां पुत्र जामीनखां कौम मुसलमान
4.फारूक मोहम्मद पुत्र बरकतखां
5.लीला पत्नी बरकतखां
6.हासमखां पुत्र काम्भूखां उर्फ कांयूखां
7.गनीखां पुत्र काम्भूखां उर्फ कांयूखां
8.सरीफो पत्नी काम्भूखां उर्फ कांयूखां
9.मुबारकखां पुत्र मेहराखां
10.हासमखां पुत्र मेहराखां
11.हनीफो पत्नी मेहराखां
12.नब्बु पत्नी शेरूखां
13.रोशनखां पुत्र शेरूखां
14.पठानखां पुत्र शेरूखां
15.हबीबखां पुत्र शेरूखां

प्रतियादी संख्या 13 ता 15 जरिए कुदरती वली माता नब्बु पत्नी शेरूखां जाति मुसलमान

16.मेनाराम वल्द खुशालाराम जाति प्रजापत निवासी मेकोणियों की ढाणी,पाटोदी तहसील पाटोदी जिला बालोतरा

17.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पाटोदी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादी

2.श्री दुर्गेश दैया अधिवक्ता प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 27/10/2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 3747 रकबा 118 बीघा 04 विस्वा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 22.03.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 3747 रकबा 118 बीघा 04 विस्वा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्रं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	सरादीन पुत्र काम्भूखां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	पाटोदी	3747	1.0629	बा.सोयम	–	F
2	शेरूशाह पुत्र समन्दरसा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	पाटोदी	3747	5.3148	बा.सोयम	–	E
3	हासमखां 7972/35207 सरादीन 11291/35207 गनीखां 7972/35207 पि. काम्भूखां सरीफो पत्नी काम्भूखां 7972/35207 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	पाटोदी	3747	3.5207	बा.सोयम	–	C
4	मुबारकखां 1/4 हासमखां 1/4 पि. मेहरा हनीफो पत्नी मेहरा 1/4 नबू पत्नी शेरूखां 1/16 रोशनखां 1/16 पठानखां 1/16 हबीब खां 1/16 पि. शेरूखां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	पाटोदी	3747	3.1889	बा.सोयम	–	D

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5	रहमानखां पुत्र 842/28573 शेरूखां 10629/28573 पि. जामीनखां लीला पत्नी बरकतखां 5314/28573 फारूकमोहम्मद पुत्र बरकतखां 11788/28573 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	पाटोदी	3747	2.8573	वा.सोयम	–	B
6	गेनाराम पुत्र खुशालाराम जाति प्रजापत सा. देह खातेदार	पाटोदी	3747	3.1889	वा.सोयम	–	A

तहसीलदार,पाटोदी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

27/10/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

27/10/2025

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 107/2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2016/00275

वादी	बनाम	प्रतिवादी
सरादीन पुत्र काबूखां जाति मुसलमान निवासी मेकानियों की ढाणी,पाटोदी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.शेरूसा वल्द समन्दरसा जाति साई निवासी पाटोदी तहसील पाटोदी 2.रहमानखां वल्द जामीनखां कौम मुसलमान 3.शेरूखां पुत्र जामीनखां कौम मुसलमान 4.फारूक मोहम्मद पुत्र बरकतखां 5.लीला पत्नी बरकतखां 6.हासमखां पुत्र काम्मूखां उर्फ कांबूखां 7.गनीखां पुत्र काम्मूखां उर्फ कांबूखां 8.सरीफो पत्नी काम्मूखां उर्फ कांबूखां 9.मुबारकखां पुत्र मेहराखां 10.हासमखां पुत्र मेहराखां 11.हनीफो पत्नी मेहराखां 12.नब्बु पत्नी शेरूखां 13.रोशनखां पुत्र शेरूखां 14.पठानखां पुत्र शेरूखां 15.हबीबखां पुत्र शेरूखां प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 जरिए कुदरती वली माता नब्बु पत्नी शेरूखां जाति मुसलमान 16.गेनाराम वल्द खुशालाराम जाति प्रजापत निवासी मेकोणियों की ढाणी,पाटोदी तहसील पाटोदी जिला बालोतरा 17.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पाटोदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :107/2016

निर्णय दिनांक :— 27.10.2025

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से श्री दुर्गेश दैया अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	————
जोड़	———	जोड़	———

सहायक कलक्टर 27/10/25
(एस.डी.ओ.)बालोतरा